Salaries	Rs: 16.92.650.00
Allowances including Daily Allowances, Sumptuary Allowances, Constituency Allowances	Rs. 52.33.660.00
Travelling Expenditure	Rs. 34.86.06.200.00

Information relating to expenditure on Telephones and other perks is not centrally maintained as these are met by the respective Ministries.

Tapping of Telephones of Chief Election Commissioner

@'1701. SHRI N.E. BALARAM: SHRI CHATURANAN MISHRA: SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Times of India dated 18th October, 1993 to the effect that the telephones of Chief Election Commissioner Shri Seshan arc being tapped;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any steps were taken to investigate the serious allegations made; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The Government is aware of the news item. No telephone of the Chief Election Commissioner was being monitored or tapped.

(c) and (d) Do not arise.

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश

1702. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जनसंख्या की दृष्टि से ईसाई बहुल राज्य हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के अन्य राज्यों के लोग वैध परमिट प्राप्त किये बिना इन तीनों राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकते;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार की उक्त नीति देश की एकता और समरसता के विरुद्ध है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार की उक्त नीति के कारण उपर्युक्त तीनों राज्यों में गैर-ईसाई जनता में भारी असंतोष व्याप्त है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) जी, हां

(ख) मेघालय और नागालैंड के दीमापुर क्षेत्र में अन्य राज्यों के लोगों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी नागालैंड और मिजोरम के अन्य भागों में प्रवेश के लिए, संबंधित राज्य सरकारों को बंगाल इस्टर्न फ्रन्टीयर विनियम, 1873 (जिसे आमतौर पर इनर लाइन रेगुलेशन के रूप में जाना जाता है) के अधीन ये अधिकार प्राप्त हैं कि वे भारत के सभी नागरिकों को या ऐसे नागरिकों के किसी वर्ग को अथवा इनमें रहने वाले किसी व्यक्ति या इन जिलों से होकर जाने वाले किसी व्यक्ति को "इनर लाईन" से आगे जाने के लिए ऐसे जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों और मुहर के साथ जारी पास के बिना प्रवेश देने से मना कर सकती है।

(ग) और (घ) ये विनियम सैकड़ों वर्षों से लागू है। इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इन विनियमों से नागरिकों के देश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के अधिकारों का हनन होता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी संगठन

1703. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के पूर्वोत्तर भाग के सात राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में आज तक कितने आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं तथा ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को समाप्त करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और ये कदम कहां तक सफल रहे हैं तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) क्षेत्र में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूहों में से कुछ इस प्रकार हैं:

1. यूनाइटिड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (अल्फा)।

@Previously Unstarred, Question No. 422, transfer from 7.12.93.